

15/10/19

PORTAL

24/11/18  
कृष्ण लीला (170)

सरवरक  
(कायदा-129)

15/8  
10/11  
27/01/16  
25/04/16  
18/7/16

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के 24/11/18 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़, जिला-भीलवाड़ा (राज.) 14/2/19 334

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला नम्बर 5
212 R.T.A.	59/2015	14/07/15	25/5/2018	21/3/19, 10/4/17, 22/5/17, 22/8/17, 23/8/17, 31/10/17, 20/12/17, 20/3/18, 6/6/18

### अनवान

श्री भरि साधरी श.क. श्रीरामप्री मोहन जी चौकमा बलाई  
निवासी 99.5 नि. 46 मपुरा निवासी अगोरा र. बेड़ी

निवेदन प्रकाश देवरा  
अधिवक्ता वादी/प्रार्थी/अपीलान्त/

A. L. K. 02  
अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/ 13 17

डिकीदार

नदयूनान

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर  
अहमद  
हुक्म  
में

20/12/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वाली प्रतिवादी उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी युनाय कि 20/12/17 पर है।  
पत्रावली वास्ते 20/12/17 दिनांक 20/3/18  
को पेश हो! अपग

आज्ञा से  
रीडर उपखण्ड अधिक  
माण्डलगढ

20/3/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभि वाली प्रतिवादी उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी कि 20/3/18 पर है।  
पत्रावली वास्ते 20/3/18 दिनांक 5/5/18  
को पेश हो!

आज्ञा से  
रीडर उपखण्ड अधिक  
माण्डलगढ

25/5/2018

पत्रावली न्याय भापरी द्वार में 5 अगस्त 2018  
पर पेश हुई। अभिवादी उभय पक्ष उपस्थित  
उभयपक्षों के बयान सुनी गई जिसमें दोनों  
पक्षकारणों ने दिनांक 4/7/2015 को  
जारी स्थगन आदेश को अभाव रखा  
जाकर राजस्व रेकार्ड के अभाव में बनाये  
रखने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक अपनी  
अवधि दी। अतः जायना पत्र में उभय  
पक्षों के अभाव में आचार पर दिनांक  
4/7/2015 को जारी स्थगन आदेश को  
मूलवाद के निस्तारण तक अभाव रखा  
का आदेश दिया जाकर दोनों पक्षों को  
राजस्व रेकार्ड के अभाव में बनाये  
रखने हेतु पाबन्द दिया जाता है।  
पत्रावली केवल अगस्त बीडर नम्बर के  
क्रम में एवं जायना पत्र मूलवाद  
सं. 102/15 के साथ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ

Handwritten signature and notes on the left margin.